तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	अहलकार हुक्म की में जारी
10/8/24	कमाण्डर कोर्ट फैम्प सूरतगढ़ में प्रस्तुत प्रकरण पर तहसीलदार सह क्लेम अधिकारी प्रार्थनापत्र के उपरान्त तथ्यों पर क्लेम का अवलोकन किया गया, प्रार्थनापत्र पर पत्रावली में रखे गये भूमिधारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया भूमिधारी द्वारा यहाँ में भाटाबाड़ा जमीन जो औद्योगिक भूमि विक्रय के कम के पट्टे की, 88/A तक कमाण्डाधित भूमि बाटवा नहीं किया जा सकता व प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है - विक्रय निर्दिष्ट मलाग से लिया जाए ~~[illegible]~~ उपखण्ड अधिकारी — किया कमाण्डर को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में आदेश।	पीठासीन अधिकारी प्रकरण संख्या:- 1.

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (बीकानेर) राज.